



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/426

14/08/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची 1 (आयात नीति) के तहत बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध के संबंध में।

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 24/2025-26 दिनांक 11.08.2025.

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी कार्यालय, नई दिल्ली ने आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची 1 (आयात नीति) के तहत बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध के संबंध में उपर्युक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से जारी की है।

इस अधिसूचना के अंतर्गत निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं:-

एसआई संख्या	एचएस कोड	आइटम विवरण	आयात नीति / बंदरगाह प्रतिबंध
(x)	531090	जूट या अन्य वस्त्र बास्ट फाइबर के प्रक्षालित और अप्रक्षालित बुने हुए कपड़े	भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित किसी भी स्थलीय बंदरगाह से बांग्लादेश से आयात की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, इसकी अनुमति केवल न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही होगी।
(xi)	560890	जूट की शराब, डोरी, रस्सी आदि	
(xii)	560790	सुतली, डोरी, रस्सी और केबल	
(xiii)	630510	जूट के बोरे और थैले	

अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्न आधिकारिक अधिसूचना की प्रति देखें।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद